पुरस्कार योजनाएं

456

BLANK

डाक व्यय की पूर्व आदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिये अनुमत। अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551] भोपाल सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 1991-भाद्र 25, शके 1913

आदिम जाति अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्र. एफ-23-13-पच्चीस-6-91 भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 1991

मध्यप्रदेश बिरसा मुण्डा आदिवासी सेवा राज्य पुरस्कार

प्रस्तावना एवं उद्देश्य :

प्रदेश में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास, कल्याण एवं संरक्षण के उद्देश्य से शासन विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस पुनीत कार्य में निजी व्यक्तित्व की वैयत्तिक सेवा योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठामंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन प्रदेश के निवासियों को आदिवासी सेवा के लिये पुरस्कार देगा।

आदिवासी समाज में श्री बिरसा मुण्डा की एक क्रांतिकारी वीर समाज सेवक के रूप में प्रतिष्ठा है व कुछ क्षेत्रों में उनकी पूजा भी की जाती है। अस्तु आदिवासी सेवा के लिये राज्य पुरस्कार का नाम ''बिरसा मुण्डा आदिवासी सेवा राज्य पुरस्कार'' रखा जाना नितान्त उपयुक्त है।

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :-

1. **नाम एवं व्यक्ति :-** ये नियम मध्यप्रदेश बिरसा मुण्डा आदिवासी सेवा राज्य पुरस्कार 1991 कहलायेंगे। ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में शसन द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषायें :-** (अ) आदिवासी से तात्पर्य भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित अनुसूचित जनजातियों से हैं।

   (ब) मध्यप्रदेश के निवासी से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासिता की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से हैं।

   (स) ''जूरी'' से अभिपाराय इन नियमों के नियम-4 के अन्तर्गत गठित निर्णायक मण्डल से हैं।

3. **पुरस्कारों का स्वरूप :-** मध्यप्रदेश बिरसा मुण्डा ादिवासी सेवा राज्य पुरस्कार रुपये 50,000 नकद एवं पुरस्कार के प्रतीक-चिन्ह से युक्त प्रशस्ति पट्टिका के रूप में दिया जायेगा। पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य के निवासी तथा राज्य में आदिवासी सेवा

करने वाले समाज सेवकों को हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जायेगा, परन्तु जूरी के निर्णय के आधार पर उक्त पुरस्कारों की नकद राशि दो समाज सेवियों के मध्य विभाजित भी हो सकती है।

4. **जूरी का गठन :-** राज्य शासन समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से विभिन्न कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों में से प्रतिष्ठित समाज सेवी, प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों की जूरी (निर्णयक मंडल) का गठन करेगा।

5.जूरी की शक्तियां :- (1) जूरी प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये अलग-अलग गठित की जावेगी।

(2) जूरी के द्वारा किया चयन अन्तिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा।

(3) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवाा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।

(4) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलाव भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/किन्हीं नामों पर विचार कर सकेगी, जिन्हें वह पुरस्कारों के उद्देश्यों के अनुरूप पाएं।

(5) सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही समाज सेवी का चयन होगा। किन्तु जूरी यदि आवश्यक समझेगी तो, वह एक पुरस्कार के लिये दो समाज सेवियों का चयन कर सकेगी और तदानुसार उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी।

(6) जूरी की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवाही विमवण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुसंशा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

(7) जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। जूरी के सदस्य को से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा।

6. **चयन की प्रक्रिया :-** पुरस्कारों के लिये उपयुक्त समाज-सेवियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

(1) जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किये जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान अगस्त में प्रमुख राशि और प्रादेशिक समाचार पत्रों/पत्रिका में राज्य सासन (आदिम जाति अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से परिशिष्ट में दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा। प्रविष्टियां प्रस्तुत/ प्रेषित करने के कम से कम एक महीने का समय दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जावेंगी। परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।

(2) प्रविष्टि समाज-सेवी द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से उनके सेवा कार्य से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन राज्य शासन की निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करेंगे :-

(क) सामाजिक कार्यकर्ता का पूर्ण परिचय।

(ख) निर्दिष्ट आदिवासी वर्गों के उत्थान के लिये उनके द्वारा किये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी।

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार किया हो, तो उनका विवरण।

(घ) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कार्य प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि।

(ङ) समाज-सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यके संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां।

(च) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित समाज सेवक की सहमति।

(3) (अ) चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी।

(ब) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां तीन वर्ष तक विचारणीय होगी, विचारणीय तीन वर्षों में संबंधित सेवी के लिये नई प्रविष्टियां देना आवश्यक नहीं होगा। किन्तु उप नियम-(1) में प्रविष्टियां प्रस्तुत करने हेतु विहित अवधि में संबंधित समाज सेवक या उनके कोई प्रस्तावक यदि पूरक या अतिरिक्त विषय वस्तु विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहे तो समय सीमा में प्राप्त इस प्रकार की पूरक अथवा अतिरिक्त विषय वस्तु विचारार्थ ग्रहण होगी।

(स) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाज सेवी का सेवा कार्य पुरस्कार नहीं है निर्धारित मापदण्दों की पूर्ति करने वाले ऐसे समाजसेवी जो तीन वर्षों की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सके हैं। परवर्ती वर्षों में पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे।

(4) प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य सासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य शासन को अधिकार होगा कि, जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सके।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा :-

पंजीयन क्र.	समाज सेवी का नाम तथा पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्रारूप कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालन, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम 15 दिन की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी :-

(1) समाज सेवी का नाम तथा पता
(2) प्रस्तावक
(3) समाज सेवी का संक्षिप्त परिचय
(4) सेवा कार्य की उपलब्धियां
(5) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
(6) प्रमाण-सम्मितियां
(7) रचनाएं/प्रकाशन
(8) आत्म कथ्य (यदि कोई हो)
(9) पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति।

7. चयन के मापदण्ड :- पुरस्कारों के लिये उत्कृष्ट समाज सेवी/वियों के चयन हेतु निम्न मापदण्ड रहेंगे :-

(1) पुरस्कारों के लिये जूरी द्वारा ऐसे नागरिकों का चयन किया जावेगा, जो मध्यप्रदेश राज्य का निवासी हो एवं मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज की सेवा की हो।

(2) जूरी के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष पुरस्कार की जूरी के वे सदस्य हैं।

(3) समाज सेवी के संबंध में इस पुरस्कार के अवाला अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त समाज सेवी मध्यप्रदेश बिरसा मुण्डा आदिवासी सेवा राज्य पुरस्कार'' के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे।

(4) शासकीय एवं अर्धशासकीय वेतन भोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे।

(5) सेवा कार्य मध्यप्रदेश राज्य में आदिवासी वर्ग की सेवा से ही संबंधित होना चाहिये।

(6) पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाज सेवी की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है।

(7) समाज-सेवी को इस बात प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने आदिवासी वर्ग की दीर्घकालिक सेवा की है तथा वे अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेंगे। सेवा के क्षेत्र में परिणाम मूलक निरन्तरता आवश्यक है।

(8) पुरस्कार चूंकि समाज सेवी के समग्र योगदान के आधर पर दिया जावेगा इस लिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति के एक, व्यक्ति के रूप में, किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये।

(9) सेवा के क्षेत्र में समाज सेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये।

(10) परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार (INNOVATION) अर्थात् नई पद्यति/ नये क्षेत्र की किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है।

(11) किसी स्वैच्छिक संस्था से संबंद्ध समाज सेवी के उसी कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा। जिस कार्य से समाज सेवी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अब भी है संस्था की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाज सेवी के हित में आंकलन नहीं होगा।

8. पुरस्कारों की घोषणा—जूरी द्वारा जिन समाज सेविकों का चयन होगा, उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी। उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाज सेवी/सेवियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9. अलंकरण समारोह :- पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर को आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिये चयनित समाज सेवियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये केवल एक, सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहराने की सुविधा प्राप्त होगी लेकिन उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। समाज सेवी को रेल गाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता रेल से अथवा वायुयान से होगी एवं प्रथम-श्रेणी अधिकारी ग्रेड-ए के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. व्यय की सम्पत्ति एवं वित्तीय शक्यिां : मध्यप्रदेश बिरसा मुण्डा आदिवासी सेवा राज्य पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय ही पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जावेगा एवं स्वीकृत पद पर व्यय के पूर्ण अधिकारी-संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्यप्रदेश को होंगे। इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता न होगी।

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन : राज्य शसन (आदिम जाति अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, आदिमजाति . अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेंगी। ऐसे मामले नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकारी भी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में वेष्ठित होंगे।

12. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान :- प्रतिवर्ष के पुरस्कार प्रविष्टियों, चयनित समाज सेवियों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिये एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे। चयनित समाज सेवी के जीवन चरित्र, सेवका कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरण पुस्तिका जारी की जावेगी, जिसमें आदिवासी समाज सेवा पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप, अभी तक पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के विवरण आदि प्रतिवर्ष जारी किये जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ए. व्ही. सिंह, सचिव

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-1991

डाक व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिये अनुमत। अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-एम. पी.. 2505/डब्ल्यू./505/98 पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122 /98

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 1998-अग्रहायण 13, शक 1920

भाग 4

विषय सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम

भाग 4 (क)—कुछ नहीं

भाग 4 (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1998

क्र. एफ-23-53-97-3-पच्चीस-राज्य शासन, मध्यप्रदेश बिरसा मुण्डा आदिवासी सेवा राज्य पुरस्कार नियम, 1991, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16 सितम्बर 1991 को प्रकाशित किये गये हैं, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 6(2) में, —

"प्रविष्टि समाज सेवी द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से उनके सेवा कार्य से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करेंगे"।

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''प्रविष्टि समाज सेवी द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से सेवा कार्य से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन राज्य शासन की निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित जिलाध्यक्ष अपने जिले की ऐसी समस्त प्रविष्टियां मय सूची तथा अनुशंसा सहित, संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को 15 दिन की समय सीमा में प्रेषित करेंगे। जिलाध्यक्ष स्वयं भी पहल कर जिले में कार्यरत उपयुक्त समाज सेवी का नाम पूर्ण विवरण के साथ पुरस्कार के लिये प्रस्तावित कर सकेंगे''।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धीरेन्द्र शर्मा, अपर सचिव

डाक व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिये अनुमत। अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] भोपाल गुरुवार, दिनांक 21 सितम्बर 1995-भाद्र 30, शके 1917

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1995

मध्यप्रदेश गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार नियम, 1995

क्र. एफ. 24-16-95-6-पच्चीस—मध्यप्रदेश में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों वं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश के महान सन्त गुरू घासीदास की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का पुरस्कार स्थापित करते हुए, उसके विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :-

1. शीर्षक : ये नियम मध्यप्रदेश गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार नियम, 1995 कहलायेंगे और 1-4-95 (वर्ष 1995-96) से प्रभावशील होंगे।

2. विस्तार क्षेत्र —नियमों का विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा।

3. **पुरस्कार का स्वरूप** — योजना के अन्तर्गत पुरस्कार एक लाख रुपये का होगा, जो प्रशस्ति पट्टिका सहित सामान्यत: हर वर्ष मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा स्वैच्छिक संस्था को सामान्यत: (विशेष समारोह में) प्रदान किया जायेगा, जिसने सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्ग के उत्थान के लिये उत्कृष्ट कार्य किया हो। पुरस्कार की जूरी (निर्णायक मंडल) की अनुशंसा के आधार पर पुरस्कार की नकद रासि अपवाद रूप में दो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के मध्य विभाजित हो सकती है। यह पुरस्कार दो से ज्यादा व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में विभाजित नहीं होगा।

4. **उद्देश्य** —प्रादेशिक स्तर पर सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से सक्रिय व्यक्तियों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं को सतत् रूप में परिणाममूलक ढंग से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना और उनके उल्लेखनीय सेवा कार्य को शासन की ओर से सम्मानित कर मान्यता तथा सबल प्रदान करना एवं अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों को भी इस क्षेत्र

में काम करने हेतु प्रेरित करना, जिससे प्रदेश एवं समाज में दलित वर्गों के उत्थान के साथ सामाजिक चेतना हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके।

5. चयन के मानदण्ड — पुरस्कार के लिये चयन हेतु निम्नांकित मानदण्ड रहेंगे :—

(1) पुरस्कार के लिये जूरी द्वारा मध्यप्रदेश में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा मध्यप्रदेश के दलितों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा है और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय है;

(2) ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति की प्रविष्ट पर विचार नहीं होगा, जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के पुरस्कार की जूरी का सदस्य हो;

(3) सामाजिक चेतना जागृत करने एवं दलितों के उत्थान के लिये पूर्व में अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त संस्था/व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिये पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसी संस्था या व्यक्ति समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती है;

(4) मध्यप्रदेश शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी पात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरुपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी;

(5) पुरस्कार के लिये संस्था/व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान, दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा;

(6) संस्था/व्यक्ति को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्य किया है और वह अब भी इस दिशा में सक्रिय हैं, अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा। उसके लिये कार्य की परिणाममूलक निरंतरता आवश्यक है;

(7) संस्था/व्यक्ति के योगदान का संबंधित कार्य क्षेत्र एवं दलित लोगों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये;

(8) परम्परागत तौर-तरीकों से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है;

(9) जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आकलन करने हेतु व्यक्ति/संस्था को लिखित सहमति देनी होगी, तथा

(10) सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्टउत्थान कार्य पर ही जूरी द्वारा विचार होगा। संस्था/व्यक्ति के निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त माना जायेगा।

6. जूरी का गठनएवं उसकी शक्तियां — पुरस्कार के लिये संस्था/व्यक्ति के चयन हेतु मध्यप्रदेश शासन (आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) द्वारा संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये जूरी के रूप में एक पेनल गठित किया जायेगा। तत्संबंधी अन्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे :—

(1) जूरी में न्यूनतम तीन और अधिकतम पांच सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

1. उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश

2. लोक सेवा आयोग के अवकाश प्राप्त सदस्य

3. राज्य शासन का एक प्रतिनिधि

4. रविशंकर विश्व विद्यालय के उप कुलपति

5. प्रतिष्ठित समाजसेवी

(2) समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात व्यक्तिजूरी के सदस्य होंगे।

(3) जूरी द्वारा किया गया चयन अन्तिम एवं शासन के लिय बंधनकारी होगा।

(4) जूरी केवल आवश्यक प्रमाणों सहित प्राप्त प्रविष्टियों पर ही विचार करेगी।

(5) सामान्यत: पुरस्कार के लिये एक संस्था/व्यक्ति का ही चयन होगा, किन्तु जूरी आवश्यक मानेगी तो वह पुरस्कार के लिये दो संस्थाओं/व्यक्तियों को चयन भी कर सकेगी और तद्नुसार, उन्हें पुरस्कार की नगद राशि समनाबाद कर प्रदान की जायेगी।

(6) जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किया जाने उन्हें राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान रेलगाड़ी/वायुयान से यात्रा करने और यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। बैठक के दिनों में वे राज्य अतिथि माने जायेंगे।

2. चयन की प्रक्रिया : पुरस्कारों के लिये उपयुक्त संस्था/संस्थाओं-व्यक्ति/व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

(1) जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिये जानकारी/प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु माह जून में प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं में राज्य शासन (आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) की ओर से संचालक, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश द्वारा परिशिष्ट में दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

(2) जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कम से कम एक महीने का समय दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त जानकारियां विचार के लिये मान्य नहीं होगी।

(3) प्रविष्टि/जानकारी राज्य शासन की निम्नांकित अपेक्षाओं की सपूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जायेगी :-

1. संस्था/व्यक्ति का पूर्ण परिचय।

2. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के लिये उसके द्वारा किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी :-

3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

4. उसके उत्कृष्ट कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया हो, तो उसका विवरण तथा प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति।

5. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र पत्रिकाओं आदि द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां।

6 संस्था के निरन्तर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र।

7. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति तथा।

8. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में सहमति।

(4) चयन के लिये कंडिका-5 में उल्लेखित मानदण्डों के अलावा कोई शर्तें लागू नहीं होगी। इन मानदण्डों की सपूर्ति करने वाली ऐसी संस्था/व्यक्ति भी विचाराधीन वर्ष के पुरस्कारों के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी, जिसने विगत वर्षों में प्रविष्टि भेजी थी, किन्तु जिसका चयन नहीं हो पाया था।

(5) प्रविष्टि में अतिर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं होगी।

(6) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(7) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा :—

पंजीयन क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(8) पंजीयन के पश्चात् आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम 15 दिन की समयावधि में तैयार कर शासन को प्रस्तुत की जायेगी :—

1. संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता
2. संस्था की ओर से प्रस्तावक का नाम एवं पद
3. संस्था का संक्षिप्त परिचय
4. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु किये गये कार्य की विस्तृत उपलब्धियां
5. प्राप्त पुरस्कार
6. प्रमाण/सम्मतियां
7. संस्था/व्यक्ति के बारे में प्रकाशन
8. निरन्तर एवं निर्विवाद होने बाबत् प्रमाण-पत्र भेजा है या नहीं
9. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति भेजी है अथवा नहीं।

8. पुरस्कारों का घोषणा :- जूरी द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति या चयन होगा, उससे पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् शासन द्वारा पुरस्कार के लिये चयनित संस्था/व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा की जायेगी।

9. पुरस्कार वितरण समारोह :- राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह शासन द्वारा निश्चित स्थान पर महान संत गुरू घासीदास के जन्म दिवस 18 दिसम्बर को आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिये चयनित व्यक्ति अथवा संस्था के एक पदाधिकारी एवं जूरी के सदस्यों को "राज्य अतिथि" के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था के पदाधिकारी को यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा।

10. व्यय की सपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां :- पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की सपूर्ति के लिये आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा और स्वीकृत पदों पर उसके व्यय के पूर्ण अधिकार संचालक, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश को रहेंगे।

11. नियमों की व्याख्या- इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जायेगा तथा इस पुरस्कार के संबंध में अन्य ऐसे मामले भी, जो कि इन नियमों में समाहित नहीं है, उन्हीं के द्वारा अन्तिम रूप से निराकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अजयसिंह यादव, सचिव

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-1995

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रलाय

क्रमांक एफ-23-75/97/25/4 भोपाल, दिनांक 16-9-99

प्रति,

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
म. प्र. भोपाल

विषय :- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार वर्ष 1997-98 एवं 1998-99

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक योजना/2/1/99/2231 दिनांक 22-7-99

राज्य शासन, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार नियम 1997 के नियम-4 के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार निर्णायक मंडल (जूरी) का गठन किया जाता है :-

1.	श्री धनेश पटिला, मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
3.	प्रो. एस. के. धोरार सेन्टर फार द स्टडी, ऑफ रीजनल डवलपमेन्ट. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067	सदस्य
4.	प्रो. डब्ल्यू. ए. के. फिलिप्स, प्राचार्य, इन्दौर स्कूल सोशल वर्क, इन्दौर, (म.प्र.)	सदस्य
5.	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म. प्र., भोपाल	सदस्य सचिव

इस जूरी का कार्यकाल (1) वर्ष का होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(एडवर्ड तिग्गा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

भाग 4 (ग)
अन्तिम नियम

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1998

क्र. एफ. -23-75-07-पच्चीस-चार—"डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार नियम, 1997" —यह पुरस्कार प्रति वर्ष डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में दिया जायेगा, जिसकी राशि एक लाख होगी। यह सम्मान उस गैर-शासकीय संस्था या व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन के अनुरूप समाज में शोषित वर्ग के अनुसूचित जाति के लिये समानता व सामाजिक एवं आंर्थिक उत्त्थान के लिये कार्य किया हो। यह पुरस्कार प्रति वर्ष महू में स्थापित डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में दिया जायेगा।

1. शीर्षक — यह नियम मध्यप्रदेश डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार नियम, 1997 कहलायेंगे और दिनांक 1 अप्रैल 1997 (वर्ष 1997-98) से प्रभावशील होंगे।

2. विस्तार क्षेत्र — सम्पूर्ण भारत होगा।

3. चयन के मापदण्ड - पुरस्कार के लिये चयन हेतु निम्नांकित मापदण्ड रहेंगे :-

(1) पुरस्कार के लिये जूरी का गठन किया जावेगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप समाज में शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान एवं बदलाव के क्षेत्र में दीर्घकाल से देश की ऐसी गैर-शासकीय संस्था या व्यक्ति का चयन करेंगी जिसका भूतकालिक कार्य उत्कृष्ट रहा है और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय है।

(2) ऐसा व्यक्ति या ऐसी गैर-शासकीय संस्था का कोई पदाधिकारी जूरी का सदस्य नहीं होगा जिसने पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रविष्टि दी है।

(3) समाज में शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान एवं बदलाव के क्षेत्र में पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त गैर -शासकीय संस्था या व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिये पात्र होंगे बशर्ते की ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती हों।

(4) पुरस्कार के लिये गैर-शासकीय संस्था या व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा।

(5) गैर-शासकीय संस्था/व्यक्ति से इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन के आधार पर समाज के शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान एवं बदलाव के क्षेत्र में दीर्घ कार्य किया है और अब भी इस दिशा में सक्रिय है अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर ही नहीं मिलेगा। उसके लिये कार्य की परिणाम मूलक निरन्तरता आवश्यक है।

(6) गैर-शासकीय संस्था/व्यक्ति के योगदान का संबंधित कार्य क्षेत्र में दलित लोगों के जीवन में व्याप्त प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।

(7) संस्थान/व्यक्ति को यह बताना होगा कि परम्परागत तौर तरीके से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति, नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया।

(8) जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा गैर-शासकीय संस्था/व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन करने हेतु गैर-शासकीय संस्था/व्यक्ति की लिखित सहमति देनी होगी तथा सर्वदा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी द्वारा विचार होगा।

4. जूरी का गठन एवं उसकी शक्तियां :- पुरस्कार के लिये गैर-शासकीय संस्था/व्यक्ति के चयन हेतु मध्यप्रदेश शासन (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग) द्वारा संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये जूरी के रूप में एक पैनल गठित किया जायेगा। तत्संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है :-

(1) जूरी में यूनतम तीन और अधिकतम छः सदस्य होंगे, जो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(2) समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात व्यक्ति जूरी के सदस्य होंगे।

(3) जूरी द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा।

(4) सामान्यत: पुरस्कार के लिये एक गैर-शासकीय संस्था या एक व्यक्ति का चयन होगा। किन्तु जूरी आवश्यक समझेगी तो यह पुरस्कार के लिये दो गैर-शासकीय संस्थाओं या व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की नगद राशि समान रूप से प्रदान की जाएगी।

(5) अवार्ड के समस्त कार्य के माननीय सदस्यों को आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान रेलगाड़ी/वायुयान से यात्रा करने और यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

5. चयन प्रक्रिया :- पुरस्कारों के लिये उपयुक्त गैर शासकीय संस्था या व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(1) प्रति वर्ष माह अगस्त से दिसम्बर माह के मध्य जानकारी/प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा।

(2) उक्त विज्ञापन के अलावा, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय/अन्य सभी राज्य सरकारों/राष्ट्रीय संस्थाओं/प्रतिष्ठित विसेषज्ञों एवं संस्थानों की जानकारी में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के विचरों के अनुरूप कार्यरत संस्थाओं को, संस्थान द्वारा पत्र लिखकर पुरस्कार हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) विज्ञापन अथवा उक्त कंडिका (2) की प्रविष्टि/जानकारी राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाएगी :-

1. संस्था/व्यक्ति का पूर्ण परिचय।

2. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के लिये उसके द्वारा किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी।

3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

4. उसके उत्कृष्ट कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया हो तो उसका विवरण तथा प्रकाशित प्रतिवेदन एक-एक प्रति।

5. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्रिकाओं आदि द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां।

4. इन मापदण्डों की पूर्ति करने वाली ऐसी संस्था/व्यक्ति भी विचाराधीन वर्ष के पुरस्कारों के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसने विगत वर्षों में प्रविष्टि भेजी थी, किन्तु जिसका चयन नहीं हो पाया था।

(5) प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं होगी.

(6) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इसका सत्यापान डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा किया जायेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।

(7) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जाएगा:-

पंजीयन क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता	प्रविष्टि प्ररस्तुतकर्ता का नाम एवं संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	2)	(3)	(4)	(5)

(8) पंजीयन के पश्चात् डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में ''जूरी'' की बैठक के लिये संक्षेपिका 15 जनवरी तक तैयार कर संचालक, अनुसूचित जाति विकास के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

1. संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता

2. संस्था/व्यक्ति की ओर से प्रस्तावक का नाम एवं पद (संस्था/व्यक्ति की गतिविधियों से संलग्न कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है। यदि अन्यथा प्रस्ताव प्राप्त हो, तो संस्था की अनुशंसा से उसे मान्य किया जा सकेगा)।

3. संस्था/व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय।

4. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु किये गये कार्य की विस्तृत उपलब्धियां।

5. प्राप्त पुरस्कार

6. प्रमाण/सम्मतियां।

7. संस्था/व्यक्ति के बारे में प्रकाशन

8. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति भेजी है अथवा नहीं।

6. पुरस्कार वितरण समारोह — राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह प्रति वर्ष निश्चित स्थान पर डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिये चयनित व्यक्ति या गैर शासकीय संस्था के एक पदाधिकारी एवं जूरी के सदस्यों को ''राज्य अतिथि'' के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, चयनित व्यक्ति या गैर शासकीय संस्था के पदाधिकारी को यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा।

7. व्यय एवं वित्तीय शक्तियां— पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के पूर्ण अधिकार महानिदेशक, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू को रहेंगे।

8. नियमों की व्यवस्था— इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत मानी जाएगी तथा इस पुरस्कार के संबंध में अन्य ऐसे मामले भी जो इन नियमों में समाहित नहीं है, उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप से निराकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, प्रमुख सचिव

शाकेमुभो—2133—आआविभो—9-2-02—1,000.